प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिसका केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अनुसूचित जातियों से जुड़े लोगों के उच्च अनुपात (50% से अधिक) के विकास के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय और राज्य योजनाओं के लिए और प्रति गाँव के आधार पर वितीय धन आवंटित करना। [१]

इस योजना को महत्वाकांक्षी माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य कई विकास कार्यक्रमों को गांवों तक पहुं चाना है। इनमें से कुछ कार्यक्रम भारत निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ग्रामीण सड़कों, जल आपूर्ति, आवास, विद्युतीकरण और अन्य बड़ी योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एकीकृत बाल विकास सेवा, हैं। स्वच्छता। यह कार्यक्रम लगभग 44,000 गाँवों पर लागू होगा, जिनकी अनुसूचित जाति की आबादी 50% से ऊपर थी और इसलिए PMAGY के लिए योग्य थी। [१] [२]

राजनीतिक पृष्ठभूमि

यह कार्यक्रम वाम दलों द्वारा समर्थित यूपीए गठबंधन सरकार द्वारा लाया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति (दिलत) की राजनीति में एक बड़ी राजनीतिक भूमिका प्राप्त करना था और उच्च दिलत आबादी वाले क्षेत्रों में यूपीए नेताओं के वोटबैंक को मजबूत करने के बारे में सोचा गया था। [१] कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी द्वारा फायदेमंद माना गया क्योंकि इस योजना ने दिलतों को जमीनी स्तर पर विकसित करने के लिए केंद्र की प्रत्यक्ष भूमिका दी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अपने चुनाव परिणामों में सुधार की उम्मीद की, जिनमें बड़ी संख्या में लाभार्थी गाँव होंगे। [१]

योजना

इस योजना का उद्देश्य एक "आदर्श ग्राम" (आदर्श गाँव) बनाना है, जिसमें पर्याप्त भौतिक और संस्थागत अवसंरचना हो, जिसमें समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम ज़रूरतें पूरी हों। जो गाँव प्रगतिशील और गतिशील है और उसके निवासी सद्भाव में रहते हैं। गरिमापूर्ण जीवनयापन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए और निवासियों को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सक्षम किया जाना चाहिए। [3]

कार्यान्वयन

योजना का उद्देश्य चयनित गांवों का समेकित विकास है ताकि उन्हें एक सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता हो। योजना का एक अन्य उद्देश्य सामान्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों जैसे कि साक्षरता दर, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता दर, शिशु मृत्यु दर / मातृ मृत्यु दर और उत्पादक परिसंपितयों के स्वामित्व के संदर्भ में एससी और अन्य समुदायों के बीच असमानता का उन्मूलन है। []] कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दो समितियों में उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक सलाहकार समिति और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक सलाहकार समिति और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक संचालन समिति का गठन किया गया है। [commit]